ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ
Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow
(Uttar Pradesh State Government University)

संख्या–1553 /भा.विवि/कुसका/2024 दिनांक : 11 नवम्बर, 2024

35वीं कार्य परिषद् की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 11 नवम्बर, 2024 को अपरान्ह 03:00 बजे आचार्य नरेन्द्र देव प्रशासनिक भवन स्थित सभागार कक्ष में कार्यपरिषद् की 34वीं बैठक की कार्यवाही :—

बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित रहे:—

1.	प्रो0 एन0बी0 सिंह, मा0 कुलपति	अध्यक्ष
2.	माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार ओझा (से.नि.), निवास 3/494, विकल्प खण्ड गोमती नगर, लखनऊ–226010	सदस्य
3.	प्रो0 जय शंकर प्रसाद पाण्डेय, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, बप्पा श्री नारायन वोकेशनल पी0जी0 कॉलेज (के0के0वी0), चारबाग, लखनऊ।	सदस्य
4.	प्रो0 ललिता राव, सेवानिवृत्त–बी0एड0 विभाग, उदय प्रताप स्वायत्तशासी पी0जी0 कॉलेज, वाराणसी। (ऑनलाइन प्रतिभाग)	सदस्य
5.	श्री फौजान अलवी, एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अलाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड, 10 सिन्धिया हाउस, ।। तल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली (ऑनलाइन प्रतिभाग)	सदस्य
6.	प्रो0 चन्दना डे, संकायाध्यक्ष–सामाजिक विज्ञान	सदस्य
7.	प्रो0 सैयद हैदर अली, संकायाध्यक्ष–वाणिज्य	सदस्य
8.	प्रो0 मसऊद आलम, आचार्य–अरबी विभाग, सदस्य–अन्य पिछड़ा वर्ग	सदस्य
9.	प्रो0 एहतेशाम अहमद, आचार्य–वाणिज्य, सदस्य–अन्य पिछड़ा वर्ग	सदस्य
10.	प्रो0 फखरे आलम, आचार्य–उर्दू विभाग	सदस्य
11.	प्रो0 सौबान सईद, आचार्य–उर्दू विभाग	सदस्य
12.	डॉ0 मुशीर अहमद, सह आचार्य, व्यवसाय प्रशासन विभाग	सदस्य
13.	डॉ0 रूचिता सुजय चौधरी, सहायक आचार्य, पत्रकारिता एवं जन संचार	सदस्य
14.	डॉ0 बुशरा अलवेरा, सहायक आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग	सदस्य
15.	श्री साजिद आज़मी, वित्त अधिकारी	विशिष्ट आमंत्री
16.	डॉ0 भावना मिश्रा, परीक्षा नियंत्रक	विशिष्ट आमंत्री
17.	डॉ0 महेश कुमार, कुलसचिव	सचिव

सर्वप्रथम कुलसचिव द्वारा कार्य परिषद् की बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया और तदोपरान्त माननीय कुलपति जी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। कार्य परिषद् द्वारा प्रस्तुत कार्यसूची पर निम्नांकित निर्णय लिया गया:—

बिन्दु संख्या–35.1 :

कार्य परिषद की 34वीं बैठक दिनांक 05 अक्टूबर, 2024 की संलग्न कार्यवाही के सम्पुष्टिकरण पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद की 34वीं बैठक दिनांक 05 अक्टूबर, 2024 की कार्यवाही का सम्पुष्टिकरण किया गया।

बिन्दु संख्या—35.2 :

कार्य परिषद् की 34वीं बैठक दिनांक 05 अक्टूबर, 2024 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की आख्या (Action Taken Report)।

निर्णय :

कार्य परिषद् की 34वीं बैठक दिनांक 05 अक्टूबर, 2024 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की आख्या (Action Taken Report) से परिषद् संसूचित हुयी।

बिन्दु संख्या—35.3 :

डॉ0 आमिना हुसैन, सहायक आचार्य का जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली में दिनांक 15—05—2024 से स्थायीकारण होने के दृष्टिगत उनके द्वारा दिये गये त्यागपत्र को स्वीकार करने एवं विश्वविद्यालय में उनकी सेवाओं का विवरण जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली को प्रेषित करते हुए ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य, English & Modern European & Asian Languages के पद को रिक्त घोषित किये जाने पर विचार।

निर्णय :

डॉ0 आमिना हुसैन, सहायक आचार्य का जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली में दिनांक 15—05—2024 से स्थायीकारण होने के दृष्टिगत उनके द्वारा दिये गये त्यागपत्र को स्वीकार करते हुए विश्वविद्यालय में उनके द्वारा की गयी सेवाओं का विवरण जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली को प्रेषित करते हुए ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य, Department of English & Modern European & Asian Languages के पद को रिक्त घोषित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या—35.4 :

राज्य चिकित्सा परिषद्, लखनऊ के पत्रांक—2/473 दिनांक 23—10—2024 द्वारा निर्गत डॉ0 मुर्तज़ा अली अतहर, सहायक आचार्य—उर्दू की दिनांक 30—07—2022 से 20—09—2024 तक चिकित्सकीय आधार पर अवकाश संस्तुति किये जाने से कार्य परिषद् को अवगत कराते हुए अग्रेतर कार्यवाही किये जाने पर विचार।

निर्णय :

डॉ0 मुर्तज़ा अली अतहर, सहायक आचार्य—उर्दू द्वारा प्रस्तुत राज्य चिकित्सा परिषद्, लखनऊ के पत्रांक—2/473 दिनांक 23—10—2024 के अनुपालन में निर्णय लिया गया कि डॉ0 मुर्तज़ा अली अतहर को कार्यभार ग्रहण कराते हुए पठन—पाठन कार्य कराया जाय। इनके द्वारा पूर्व में लिये गये अवकाश के सम्बन्ध में कार्य परिषद् की पूर्व बैठक में लिये गये निर्णय से गठित Fact Finding Committee द्वारा यथावत अग्रेतर कार्यवाही करते हुए शीघ्र आख्या उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु संख्या—35.5 :

House Allotment Rules for the Employees of the University के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा House Allotment Rules for the Employees of the University पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

3/—

बिन्दु संख्या–35.6 :

वित्त समिति की 28वीं बैठक दिनांक 07 नवम्बर, 2024 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किये जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा वित्त समिति की 28वीं बैठक दिनांक 07 नवम्बर, 2024 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–35.7 :

विद्या परिषद् की 20वीं बैठक दिनांक 06 नवम्बर, 2024 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किये जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा विद्या परिषद् की 20वीं बैठक दिनांक 06 नवम्बर, 2024 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा विद्या परिषद् के बिन्दु संख्या–20.8 में लिये गये निर्णय पर अवधी भाषा के विकास एवं उन्नयन हेतु गठित अवधी शोधपीठ के हेतु प्रथम चरण में रू. 15,000,00/– (रूपये पन्द्रह लाख) की एफ.डी.आर. बनवाकर उससे प्राप्त ब्याज से संचालित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। आवश्यकतानुसार भविष्य में इस राशि को बढ़ाये जाने पर विचार किया जा सकता है।

बिन्दु संख्या–35.8 :

परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 08 नवम्बर, 2024 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किये पर विचार

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 08 नवम्बर, 2024 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–35.9 :

विश्वविद्यालय का नवम् दीक्षान्त समारोह दिनांक 18 नवम्बर, 2024 को माननीय राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में आयोजित होने से कार्य परिषद् संसूचित किया जाना।

निर्णय :

विश्वविद्यालय का नवम् दीक्षान्त समारोह दिनांक 18 नवम्बर, 2024 को माननीय राज्यपाल महोदया की अध्यक्षता में आयोजित होने से कार्य परिषद् संसूचित हुयी तथा दीक्षान्त समारोह के सफल आयोजन हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु कार्य परिषद् द्वारा निर्देशित किया गया।

बिन्दु संख्या–35.10 :

विश्वविद्यालय के नवम् दीक्षान्त समारोह दिनांक 18 नवम्बर, 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में प्रो0 शिशिर सिन्हा, महानिदेशक, केन्द्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट), रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री योगेन्द्र उपाध्याय, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग एवं श्रीमती रजनी तिवारी, माननीय राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग को बुलाये जाने हेतु राज्यपाल सचिवालय द्वारा प्रदान की गयी अनुमति से कार्य परिषद् को अवगत कराया जाना।

निर्णय :

विश्वविद्यालय के नवम् दीक्षान्त समारोह दिनांक 18 नवम्बर, 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में प्रो0 शिशिर सिन्हा, महानिदेशक, केन्द्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट), रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार को बुलाये जाने हेतु राज्यपाल सचिवालय द्वारा प्रदान की गयी अनुमति से कार्य परिषद् संसूचित हुयी तथा विश्वविद्यालय द्वारा विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री योगेन्द्र उपाध्याय, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग एवं श्रीमती रजनी तिवारी, माननीय राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग को बुलाये जाने हेतु कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या—35.11 :

विश्वविद्यालय के नवम् दीक्षान्त समारोह दिनांक 18 नवम्बर, 2024 में प्रो0 शिशिर सिन्हा, महानिदेशक, केन्द्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट), रसायन एवं पेट्रेरसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार को मानद उपाधि (डी.लिट) प्रदान किये जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय के नवम् दीक्षान्त समारोह दिनांक 18 नवम्बर, 2024 में प्रो0 शिशिर सिन्हा, महानिदेशक, केन्द्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट), रसायन एवं पेट्रेरसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार को मानद उपाधि (डी.लिट) पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या—35.12 :

कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अन्तर्गत लाभ प्रदान किये जाने हेतु आई.क्यू.ए.सी. द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में दिनांक 08 एवं 09 नवम्बर, 2024 को आहूत छानबीन—सह—मूल्यांकन समिति/चयन समिति की बैठक में अर्ह सह आचार्य एवं अर्ह सहायक आचार्यों की प्रोन्नति सम्बन्धी संस्तुति के सीलबन्द लिफाफे खोलते हुए अर्ह सहायक आचार्य को प्रोन्नति/पदोन्नति किये जाने एवं अर्ह सह आचार्य को आचार्य के पद पर पदोन्नति किये जाने पर विचार।

निर्णय :

इस बिन्दु पर चर्चा के पूर्व सम्बन्धित शिक्षक डॉ0 मुशीर अहमद तथा डॉ0 रूचिता सुजय चौधरी को अध्यक्ष—कार्य परिषद् के निर्देश पर सभा कक्ष से बाहर भेज दिया गया। तदोपरान्त छानबीन—सह—मूल्यांकन समिति/चयन समिति के बन्द लिफाफे को कार्य परिषद् के समक्ष खोला गया। कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अन्तर्गत दिनांक 08 एवं 09 नवम्बर, 2024 को आहूत छानबीन—सह—मूल्यांकन समिति एवं चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित शिक्षकों की प्रोन्नति/पदोन्नति किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया:—

क्रम	शिक्षक का नाम	Stage	Academic Level	अर्हता का दिनांक
1.	डॉ0 मुशीर अहमद, सह आचार्य—व्यवसाय प्रशासन विभाग	Stage 4 - Associate Professor to Stage 5 – Professor	13A to 14	01—01—2024

2.	डॉ0 मज़हर खालिक, सहायक आचार्य–सी.एस. एण्ड आई.टी. विभाग	Stage 2 – Assitant Professor to Stage 3 Assitant Professor	11 to 12	22–04–2022
3.	डॉ0 रूचिता सुजय चौधरी, सहायक आचार्य, पत्रकारिता एवं जन संचार	Stage 2 – Assitant Professor to Stage 3 Assitant Professor	11 to 12	03–06–2024
4.	डॉ0 दोआ नकवी, सहायक आचार्य, व्यवसाय प्रशासन विभाग	Stage 2 – Assitant Professor to Stage 3 Assitant Professor	11 to 12	01–01–2024
5.	डॉ0 अताउर रहमान आज़मी, सहायक आचार्य, व्यवसाय प्रशासन विभाग	Stage 2 – Assitant Professor to Stage 3 Assitant Professor	11 to 12	03–06–2024

अन्य बिन्दु

अन्य बिन्दु संख्या–35(1) :

प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा, पूर्व आचार्य–वाणिज्य विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दिनांक 08–11–2024 को योजित याचिका संख्या 3853/2024 के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय :

कुलसचिव द्वारा अवगत कराया गया कि प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा, पूर्व आचार्य–वाणिज्य विभाग के कक्ष को खोलकर इन्वेन्ट्री बनाये जाने तथा उस कक्ष का सदुपयोग अन्य शैक्षणिक कार्यों में किये जाने हेतु कार्य परिषद् की 33वीं बैठक दिनांक 29 जून, 2024 में निर्णय लिया गया था, जिसके अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा एक समिति गठित कर उनका कक्ष खोलने हेतु पत्र निर्गत किया गया, जिसके विरूद्ध डॉ0 माहरूख़ मिर्ज़ा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दिनांक 08–11–2024 को एक याचिका संख्या 3853/2024 योजित की गयी, जिसे कार्य परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया। व्यापक विचार–विमर्शोपरान्त कार्य परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया, चूंकि प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में संदर्भित याचिका में अग्रिम निर्णय आने तक प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा को आवंटित कक्ष एवं अन्य शिक्षकों द्वारा भी माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका के लम्बित रहने तक उनके कक्षों को भी न खोले जाने का निर्णय लिया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्य परिषद् की बैठक समाप्त हुयी।

(डॉ0 महेश कुमार)
कुलसचिव/सचिव

(प्रो0 एन0बी0 सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष